न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्री ए.एच.गौरी, आर.ए.एस.

न.मु. एफएसएस एक्ट प्रा.पत्र 13/2017

श्री गोपालकृष्ण शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर

प्रार्थी

–: बनाम :–

श्री राजकुमार पुत्र आसाराम मोदी – मैसर्स आर.के.इण्डस्ट्रीज, 176 औद्योगिक क्षैत्र बीछवाल, बीकानेर

अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी पक्ष की ओर से – श्री महमूद अली खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2. अप्रार्थी पक्ष की ओर से – अप्रार्थी स्वयं

निर्णय दिनांक 02.01.2019

1. इस मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी श्री गोपालकृष्ण शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 26.10.2016 को अप्रार्थी श्री राजकुमार मोदी पुत्र श्री आसाराम मोदी(विक्रेता) मैसर्स आर.के.इण्डस्ट्रीज, 176 औद्योगिक क्षैत्र बीछवाल बीकानेर के यहां फ्लोर मिल का निरीक्षण करने पर हल्दी पाउडर (दीपक ब्राण्ड) 500 ग्राम पैक के 20 नग आमजन बिक्री हेतु रखा था। तदन्तर मिलावट का शक होने पर उक्त पैक हल्दी पाउडर (दीपक ब्राण्ड) प्रत्येक 500 ग्राम की चार पोली पैक्ड नमूना हेतु संग्रह कर कुल कीमत रू. 360/– में खरीद कर रसीद प्राप्त की। जिस पर प्रार्थी, विकेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर है। तदन्तर उक्त प्राप्त नमूना जांच पैक्ड हल्दी पाउडर (दीपक ब्राण्ड) को नियमानुसार सील्ड पैक कर उक्त सील्ड युक्त पैकेट में से एक सीलबन्द पैकेट मुख्य जन विश्लेषक एवं खाद्य विश्लेषक, राज. जयपुर को जांच हेतु भेजी गई। जिनके यहां से रिर्पोट LS/3270/Act/ 2016/942 दिनांक 23.11.2016 के द्वारा जांच होकर कार्यालय को जांच रिर्पोट प्राप्त हुई। जिसमें हल्दी पाउडर (दीपक ब्राण्ड) सबस्टैण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड पाया गया। प्रार्थनापत्र के अनुसार प्रार्थी का निवेदन है कि अप्रार्थी द्वारा हल्दी पाउडर (दीपक ब्राण्ड) सबस्टेण्डर्ड व मिसब्राण्ड का विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। इसलिये धारा 51 व धारा 52 के अनुसार खाद्य पदार्थ की क्वालिटी क्रेता की मांग के अनुसार नहीं होने के कारण निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे ।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

2. उक्ताशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित आकर जबाब एवं लिखित बहस प्रस्तुत किया। तदरन्तर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. प्रार्थीपक्ष की ओर से श्री महमूद अली, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किया कि इस मामले में प्रार्थी निरीक्षक ने अप्रार्थीपक्ष के यहां नियमानुसार तरीके से हल्दी पाउडर (दीपक ब्राण्ड) का सैम्पल लिया जाकर प्रयोगशाला जयपुर में जांच करवाई गई। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट के अनुसार इस मामले में The sample of "Haldi Powder" (Deepak) bearing Code No. and Sr. No. J-1303 of Designated Officer cum. The Chief Medical & Health Officer. Bikaner. is Substandard food Under section 3(1)(zx) of FSS Act. 2006. and Misbranded Food under section 3(1)(zf)(C)(I) of food safety and standards Act. 2006 पाया गया है । इस प्रकार अप्रार्थी के यहां हल्दी पाउडर (दीपक ब्राण्ड) सबस्टेण्डर्ड व मिसब्राण्ड का पाया गया है जो धारा 26 उपधारा 2 (II) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है। प्रार्थी निरीक्षक का निवेदन है कि इस मामले में अप्रार्थी को धारा 51 व 52 के तहत अधिक से अधिक जुर्माने से आरोपित किया जावे।

4. अप्रार्थी की लिखित बहस है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अप्रार्थी के यहां हल्दी पाउडर एवं लाल मिर्च पाउडर पैक्ड पैकेट के नमूने लिये गये थे। जबकि इन पैकेटों की प्रिटिंग एक समान है तथा ब्राण्ड भी एक ही है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने एक ही दिन में अप्रार्थी के यहां दो अलग–अलग सैम्पल लिये है। अप्रार्थी द्वारा अपनी फर्म पर खाद्य सामग्री को पिसाई से पूर्व हल्दी को सुखाकर एवं सफाई मशीन से साफ–सफाई एवं छंटाई कर पिसाई की जाती है तत्पश्चात् लेबलिंग के सभी पैरामीटरस् की पूर्ण पालना कर खाद्य सामग्री को पैक्ड कर विक्रय किया जाता है। अप्रार्थी के यहां पाई गई हल्दी पाउडर में लोक विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट में पैकिंग संबंधी कुछ कमियां रह जाने से जांच रिपोर्ट में मात्र मिसब्राण्ड पाया गया है, जो मानव स्वास्थ्य के लिये हानिकारक नहीं है। जहां तक टेस्ट एडेड फोरिन स्टार्च का प्रश्न है । खेतों में जहां हल्दी उत्पादित होती है वहां के वातावरण में नमी एवं आद्रता के कारण उक्त खाद्य सामग्री में सबस्टेण्डर्ड पाया जाना स्वाभाविक है। अप्रार्थी द्वारा खाद्य सामग्री में किसी प्रकार की मिलावट इत्यादि नहीं की जाती है । अप्रार्थी के यहां पाई गई हल्दी पाउडर मानव उपयोग के लिए अनसेफ नहीं पाई गई है और ना ही मानव उपयोग के नुकसान दायक है। अप्रार्थी द्वारा हल्दी पाउडर इत्यादि की पिसाई स्वयं की देखरेख में की जाती है तथा किसी प्रकार की मिलावट इत्यादि नहीं हो इसका पूरा ध्यान रखते हुवे पैकिंग की जाती है। अप्रार्थी के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुवे खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद की कार्यवाही को खारिज करने के आदेश फरमावें ।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन) बीकानेर

Scanned by CamScanner

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया व उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् एवं संलग्न मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर की रिपोर्ट क्रमांक LS/3270/Act/ 2016/942 दिनांक 23.11.2016 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। इस रिपोर्ट में The sample of "Haldi Powder" (Deepak) bearing Code No. and Sr. No. J-1303 of Designated Officer cum. The Chief Medical & Health Officer. Bikaner. is Substandard food Under section 3(1)(zx) of FSS Act. 2006. and Misbranded Food under section 3(1)(zf)(C)(i) of food safety and standards Act. 2006 पाया गया है। जो निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं होने के कारण सबस्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड का होना साबित होता है। इस प्रकार अप्रार्थी के यहां हल्दी पाउडर (दीपक ब्राण्ड) सबस्टेण्डर्ड व मिसब्राण्ड का पाया गया है, जो धारा 26 उपधारा 2 (II) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है। अतः अप्रार्थी द्वारा अधिनियम के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुवे हम अप्रार्थी के इस कृत्य के लिये उन पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 व धारा 52 के तहत रू. 20,000/– अखरे रूपये बीस हजार मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है।

6. अप्रार्थी को यह आदेश दिया जाता है कि आरोपित शास्ति राशि एक माह के भीतर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर के कार्यालय के माध्यम से राज्य के आय मद 0210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य में जरिये चालान जमा करावें। निर्धारित अवधि में राशि जमा न होने की अवस्था में धारा 96 के तहत व्यतिक्रमी की अनुज्ञारित निलम्बित की जावें तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही की जावे।

7. निर्णय आज दिनांक 02.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया । निर्णय की प्रति अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर एवं अप्रार्थी पक्ष को जरिये रजिस्टर्ड पालनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

(ए.एच.गौरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति. जिला कलक्टर(प्रशा) बीकानेर

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

कार्यालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बीकानेर

Scanned by CamScanner